रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28012020-215758
CG-DL-W-28012020-215758

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 02] नई दिल्ली, जनवरी 12—जनवरी 18, 2020, शनिवार/पौष 22— पौष 28, 1941
No. 02] NEW DELHI, JANUARY 12— JANUARY 18, 2020, SATURDAY/PAUSHA 22—PAUSHA 28, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विज्ञान और प्रौद्योगकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगकी विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 03.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रबंधक (अतिथि गृह) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रबंधक (अतिथि गृह) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगकी विभाग, (अतिथि गृह), समूह 'ग' पद, भर्ती, नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे*

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु –सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रबंधक (अतिथि गृह)	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रू.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) **आवश्यक :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान या परिषद या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर **उपक्रम के-** (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर जो सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81,100रु.) या समतुल्य नियमित आधार पर जिन्होंने पद की नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष सेवा की हो **वांछनीय -**जिनके पास केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या स्वशासी या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में केयर टेकर या प्रबंधक (कैंटीन) या नयाचार सहायक का दो वर्ष का अनुभव है और जिनके पास लेखाओं के रख रखाव की जानकारी में कम से कम एक वर्ष का अनुभव है। **टिप्पण 1:-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणः2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/06/2012-प्रशा. 1 (बी)]
बी.के.पी. अंगम, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 7th January, 2020

G.S.R. 03.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Manager (Guest House), Group 'C' post Recruitment Rules, 2013,except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Manager (Guest House)in the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology under the Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Manager (Guest House), Group 'C' Post,Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level inthe pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Manager (Guest House).	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level - 5 (Rs. 29200-92300/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation(including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): **Essential:** Officers of the Central Government or the State Government or Union territories or Universities or Scientific Research Institutions or Councils or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertakings - (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' servicerendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix or equivalent in the present cadre or Department. Desirable: Having two years experience as Care Taker or Manager (Canteen) or Protocol Assistant in the Central Government or the State Government or the Union territories or Universities or Scientific Research Institutions or Council or autonomous or statutory organization or Public Sector Undertakings and having Knowledge and experience of at least one year in maintenance of accounts. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not Applicable	Not applicable.

[F. No. A-12018/06/2012-Admni. (B)]

B.K.P. ANGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 04.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विभागीय कैंटीन कर्मचारी समूह 'ग' और 'घ' पद भर्ती नियम, 1999 और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014, जहां तक इसका संबंध सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी, लिपिक, हलवाई-सह-रसोइया, सहायक हलवाई-सह रसोइया और कैंटीन परिचर पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विभागीय कैंटीन में सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी, लिपिक, हलवाई-सह-रसोइया, सहायक हलवाई-सह रसोइया और कैंटीन परिचर पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होनाः ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु –सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबंध-सह-भंडारी	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) **टिप्पणः** वह टाइप सी कैंटीनों में कार्य करने के लिए प्रतिमाह 250रु. विशेष भत्ता भी प्राप्त करेगा/करेगी।	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.** - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम

					तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चंबा -जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्त्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में बैचलरः या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक सहित बही खाता रखने या भंडार का परिरक्षण करने में एक वर्ष का डिप्लोमाः अनुभवः सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में भंडार या लेखा संभालने में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-**अर्हताएं, अन्यथा सुर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 2:-अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; या (ii)ऐसे हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3 (21700-69100रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास भंडारण और लेखा संभालने का दो वर्ष का अनुभव है और सीधी भर्ती किए जाने वाले लिपिको के लिए यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं हैं अर्थात् जिन्होंने वाणिज्य सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** (1) अवर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष (2) सचिव, कैंटीन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य और (3) अनुभाग अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में से भंडार लेखा हैंडलिंग में तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1 :-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-**पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हलवाई- सह-रसोइया	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3-(21700-69100 रु.)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.** - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत

					में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चंबा - जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित खानपान का प्रमाणपत्र या डिप्लोमाः (ख) किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में खानपान का दो वर्ष का अनुभव। **(ग)** खानपान के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण जिसमें स्वच्छता आदि के अनुरक्षण भी हैं, जिसे अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित किया जाएगा। **टिप्पण :-**अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200रु.) में ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता/अनुभव हैः- (i) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित खान पान का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा; और (ii) किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** (1) अवर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष (2) सचिव, कैंटीन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य और (3) अनुभाग अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-**पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. लिपिक	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.** - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चंबा -जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से वाणिज्य सहित 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 श. प्र. मि. और हिन्दी में 30 श. प्र. मि. टंकण की गति। (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 के डी पी एच/9000 के डी पी एच के समरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट) **टिप्पण 1:-**अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-**अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शून्य	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से लिपिक पद पर प्रोन्नति के लिए कैंटीन परिचर के लिए संगठनात्मक गतिविधि, संचार कौशल और लेखा पद्धति पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं** ;- (1) अवर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष (2) सचिव, कैंटीन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य और (3) अनुभाग अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता।

विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलापूर्वक पूरी कर ली है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.** - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चंबा -जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2**.- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए

					निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित खानपान का प्रमाणपत्र या डिप्लोमाः (ख) खानपान का एक वर्ष का अनुभव। **(ग)** खानपान के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण जिसमें स्वच्छता आदि के अनुरक्षण भी हैं, जिसे अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित किया जाएगा। **टिप्पण 1 :-**अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। व्यावसायिक कौशल परीक्षण खानपान जिसके अन्तर्गत स्वच्छता का अनुरक्षण भी है, के कौशल का निर्धारण विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित किया जाएगा। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** (1) अवर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष (2) सचिव, कैंटीन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ;– सदस्य और (3) अनुभाग अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता।

अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (i) जो नियमित आधार पद सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रु.) में ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास हलवाई-सह-रसोइया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव है; और (iii) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं। **टिप्पण 1 :-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-**पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कैन्टीन परिचर	08* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के

					अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.**- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चंबा -जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नही होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** (1) अवर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष (2) सचिव, कैंटीन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और – सदस्य (3) अनुभाग अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/02/2017-प्रशा. 1 (बी)]

बी.के.पी. अंगम, अवर सचिव

प्रधान नियम अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 226. दिनांक 30 मई, 2000 तथा जी एस आर संख्या 2. दिनांक 6 जनवरी, 2015 के जरिए भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 10th January, 2020

G.S.R. 04.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology, Departmental Canteen Employees Group 'C', and 'D' posts Recruitment Rules, 1999 and the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Departmental Canteen Group 'C' posts Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the posts of Assistant Manager-cum-Storekeeper, Clerk, Halwai-cum-Cook, Assistant Halwai-cum-Cook and Canteen Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Manager-cum-Storekeeper, Clerk, Halwai-cum-Cook, Assistant Halwai-cum-Cook and Canteen Attendant in the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Departmental Canteen, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Departmental Canteen Group 'C' posts Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Application: These rules shall be applied to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said posts, its classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes,the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Manager-cum-Store Keeper	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500 - Rs. 81100) **Note:** He or She will also draw Special Allowance of Rs.250/- p.m. for attending the duties in Canteen. (Type C)	Non-selection	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from

					candidates in India (and not the closing date prescribed for residents of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2:** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
B.Com from a recognised University;or Graduate in any discipline from a recognized University with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping from a recognised institution. Experience: Three years' in a Government Department or Government undertaking in handling Stores or Accounts. **Note:** (i) Qualification is relaxable at the discretion of competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified. (ii) The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of	Not applicable	Two years for direct recruits. Nil for promotees	By promotion, failing which by deputation and failing both, by direct recruitment

candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Clerks with atleast eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 2 (Rs. 19900 - 63200) in the pay matrix; or (ii) Halwai-cum-Cook with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on the regular basis in level 3 (Rs. 21700 - 69100) in the pay matrix with two years' experience in handling stores or accounts and possessing educational qualifications as prescribed for the direct recruit clerk i.e.12th Class with Commerce. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with atleast eight years regular service in grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 2 (Rs. 19900- 63200) in the pay matrix; (iii) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). (b) Three years' experience in a Government Department or Undertaking	**Group-'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation and Promotion) consisting of:** - (1) Under Secretary, Department of Science and Technology - Chairperson, (2) Secretary, Canteen Committee, Department of Science and Technology - Member; (3) Section Officer, Department of Science and Technology -Member.	Not applicable.

in handling store accounts. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date for receipt of applications. **Note 3:** The Departmental Candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Halwai-cum-Cook	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100)	Non-selection	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for residents in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2**: In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10th class pass with certificate from a recognised Board or Diploma in catering from a recognised institute. (b) Two years experience in catering in a Government Department or Undertaking; (c) A trade skill test for catering including	Not applicable	Two years for direct recruits. Nil for promotees.	Promotion, failing which by deputation and failing both by Direct Recruitment**.**

maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Department Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. **Note:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Halwai-cum-Cook in Level 2 (Rs. 19900 - 63200) in the pay matrix with three years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Deputation: - Officers of the Central Government:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook in Level 2 (Rs. 19900 - 63200) in the pay matrix with three years regular service in the grade; (b) possessing the following qualifications/experience:- (i) 10th Class pass with a Certificate from a recognised Board or Diploma in catering from a recognised institution; and (ii) Two years experience in a Government Department or	**Group-'C' Departmental Promotion Committee(for Confirmation and Promotion) consisting of: -** (1) Under Secretary, Department of Science and Technology -Chairperson, (2) Secretary, Canteen Committee, Department of Science and Technology -Member; and (3) Section Officer, Department of Science and Technology -Member.	Not applicable

Undertaking. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date for receipt of applications. **Note 3:** The Departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Clerk	02* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900 - 63200)	Non-selection.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for Government Servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for residents of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2**: In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class Pass from a recognised Board or University equivalent with Commerce; (ii) A typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer (35 words per minute and 30 words per	Not applicable	Two years for direct recruits. Nil for promotees.	By promotion, failing which by direct recruitment.

minute correspond to 10500 key depression per hour/9000 key depression per hour on an average of five key depressions for each word). **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Canteen Attendant in level 1 (Rs. 18000 - 56900) in the pay matrix with three years regular service in the grade. A two week training on organizational behaviour, communication skill and accounting practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) or any other recognized Institute. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group-'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation and Promotion) consisting of: -** (1) Under Secretary, Department of Science and Technology - Chairperson; (2) Secretary, Canteen Committee, Department of Science and Technology -Member; and (3) Section Officer, Department of Science and Technology - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Halwai-cum-Cook	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	level 2 in the pay matrix (Rs. 19900 - 63200)	Non-selection	Between 18 - 25 years of age. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not

					the closing date prescribed for residents of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2:** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10th class pass with certificate from a recognised Board or Diploma in catering from a recognised institute. (b) One year experience in catering. (c) A trade skill test for catering including maintenance of hygiene, etc., shall be conducted by the Department Promotion Committee to assess the suitability of the Candidate. **Note**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for Direct Recruits. Nil for promotees	Promotion, failing which by deputation and failing both by Direct Recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion: Canteen Attendant in level1 (Rs. 18000 - 56900) in the pay matrix with three years regular service in the grade. A trade skill test shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the skill of cooking including maintenance of hygiene. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two	**Group-'C' Departmental Promotion Committee(for Confirmation and Promotion) consisting of:** - (1) Under Secretary, Department of Science and Technology - Chairperson; (2) Secretary, Canteen Committee, Department of Science and Technology - Member; and (3)Section Officer, Department of Science and Technology -Member.	Not applicable.

years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government :- (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Canteen Attendant in Level 1 (Rs. 18000 - 56900) in the pay matrix with three years regular service having one year experience as a helper to Halwai-cum-Cook; and (iii) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date for receipt of applications. **Note 3:** The Departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.Canteen Attendant	08* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	level 1 in the pay matrix (Rs. 18000 - 56900)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxation for Government Servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for residents of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu

					and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2**: In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	8	9	(10)
Matriculation or equivalent from a recognised Board	Not applicable	Two years.	By 100% direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not Applicable	**Group-'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: -** (1) Under Secretary, Department of Science and Technology - Chairperson, (2) Secretary, Canteen Committee, Department of Science and Technology - Member and (3) Section Officer, Department of Science and Technology - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/02/2017-Admn. I(B)]

B.K.P. ANGAM, Under Secy.

The principal rules were published vide notification number G.S.R 226 dated 30th May, 2000 and G.S.R No. 2, dated the 6th January, 2015 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i).

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 05.—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, शिक्षा सहायक, (समूह 'ग ' पद) भर्ती नियम, 2018 जिन्हें भारत के राजपत्र दिनांक 24.03.2018 में सा. का. नि. 88 दिनांक 19.03.2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के अँग्रेजी संस्करण की अनुसूची में कॉलम (4) में "Level 4" के स्थान पर "Level 5" पढ़ा जाए ।

[फा. सं. 4(21)/2016-17/एनएमएनएच/प्रशा.]

एन. त्यागराजन, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th January, 2020

G.S.R. 05.— In the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Museum of Natural History, Educational Assistant, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2018 published in the Gazette of India dated 24.03.2018 vide GSR – 88 dated 19.03.2018, in the Schedule in the English version thereof in Column (4), FOR "Level 4" READ "Level 5".

[F. No. 4(21)/2016-17/NMNH/Admn]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 06.—राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और "वर्ग I और वर्ग II" राजपत्रित पद (वस्त्र आयुक्त का कार्यालय तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड) भर्ती नियम, 1970 का जहां तक उसका संबंध सलाहकार (रुई) (जिसे सा. का. नि. क्रमांक 321 तारीख 03.05.1986 द्वारा संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रुई) के रुप में पुनर्पदनामित किया गया है।) के पद से है, वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त कार्यालय में संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रुई) के पद के भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रूई) समूह 'क' राजपत्रित भर्ती नियम,2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण, एवं वेतन मैट्रिक्स में इनका स्तर और वेतन इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में है।

3. भर्ती की पद्धती,आयु-सीमा,अन्य अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धती, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य बातें और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति ---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति,जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया है या विवाह की संविदा की है,उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करने के बाद नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग या व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों,आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व-सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रुई)	1* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर – 13 (रु. 123100-215900/-)	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पण 1**-केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख होगी- (यह कि

					तारीख आसाम,मेघालय,अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर राज्य,लाहौल एवं स्पीती जिलों एवं चम्बा उप खंण्ड के पांगा जिलों हिमाचल प्रदेश के तथा अंदमान और निकोबार और लक्षद्वीप के लिए अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। (ii) वस्त्र संगठन के क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव या सरकारी विभाग में वस्त्र या रूई संबंधी मामलों जिसमें से पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव शामिल है। **वांछनीय-** (i) एमबीए या सामग्री प्रबंधन में या खरीद प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (ii) दो वर्ष का वाणिज्य में क्रय, सामग्री हैण्डलिंग एवं विपणन का अनुभव। (iii) दो वर्ष का विशेषकर रुई से सम्बद्ध विनियमित व्यापार में प्रशासनिक अनुभव । **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हत अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय/संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित।)

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिती है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : 1. केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकार अथवा स्वायत निकाय अथवा कानूनी संगठनों के अधिकारी, **(क) (i)** जो अपने मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण हो अथवा **(ii)** जिन्होंने अपने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 12 के पद में या समतुल्य पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्षों की सेवा की हो; और **(ख)** जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया पॉच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	विभागीय समूह 'ए' पुष्टिकरण समिति ; (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल है : (i) संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय - सदस्य (iii) अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त कार्यालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 46013/11/2016-स्थापना]

जयश्री शिवकुमार, उप सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 10th January, 2020

G.S.R. 06.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in the supersession of "Class I and Class II" Gazetted Posts(Office of the Textile Commissioner and the All India Handloom Board) Recruitment Rules, 1970 in so far as they relate to the post of Adviser (Cotton) (redesignated as Joint Textile Commissioner (Cotton) vide GSR No. 321 dated 03.05.1986), the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Textile Commissioner (Cotton), Group A Gazetted post in the Ministry of Textiles, Office of the Textile Commissioner, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1)These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Textile Commissioner, Joint Textile Commissioner (Cotton), Group A Gazetted Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and the level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,¬ -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection of Non-Selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint Textile Commissioner (Cotton)	One* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900)	Not-applicable	Not exceeding fifty years. **Note 1:** (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, If any	Method of recruitment. whether by direct recruitment or by deputation or absorption or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Degree of a recognized university. (ii) Twelve years' experience in the field of Textile Organisation or in Government departments dealing with matters relating to textiles or cotton including five years administrative experience. **Desirable:** (i) MBA or PG diploma in materials management or purchase management. (ii) Two years' experience of commerce in purchasing, material handling and marketing. (iii) Two years' administrative experience in organisation engaged or connected with regulating trading in cotton. **Note 1:** qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission. For reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : the qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not-applicable	1 year for direct recruits	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption or transfer grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short terms contract): I. Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Recognized Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisation: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis. Or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis the level 12 in the pay matrix or equivalent: and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note**: period of deputation (istc) including period of deputation (istc) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (istc) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i) Joint secretary, Ministry of Textiles - Chairman (ii) The Textile Commissioner, Office of the Textile Commissioner - Member (iii) Additional Textile Commissioner, Office of the Textile Commissioner -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 46013/11/2016-Establishment]

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.28 21:52:02 +05'30'